

# भरतपुर में बीएसएनएल ऑफिस में आग लगी, ट्रांसमिशन रूम जलने से नेटवर्क ठप

बीएसएनएल के ट्रांसमिशन रूम में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है

भरतपुर, (निसं)। शहर के कृष्णा नगर स्थित बीएसएनल ऑफिस में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कम्प मच गया। आग लगने से विभाग को काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा–तफरी मच गई। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान पर आ गया। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि नुकसान काफी हुआ है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी दमकल गाड़ियों काफ़ी देरी से पहुंची। बाद में भरतपुर की चार दमकल गाड़ियों के अलावा उच्चैन एवं नदबई नगर पालिका से दमकलें बुलाई गईं। आगजनी से बीएसएनल का नेटवर्क ठप हो गया और एक लाख से अधिक मोबाइल नेटवर्क और बैंक लाइन सीज हो गई।



भरतपुर में बीएसएनल ऑफिस में आग लगने से धुआं ही धुआं हो गया।

लगने की बड़ी घटना घटित हो चुकी है। बताया गया कि बीएसएनल के पास न तो फायर एनओसी थी, साथ ही आग बुझाने के यंत्र भी एक्सपायर थे, इसलिए नगर निगम ने बिल्डिंग सीज करने के नोटिस दिए थे। वहीं बीएसएनल के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के करीब 45 मिनट बाद दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची।

बीएसएनएल सब डिविजनल इंजीनियर प्रकाश शेखर एवं ब्रजभूषण पाराशर ने बताया कि बीएसएनएल के

ट्रांसमिशन रूम में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन, दमकल की गाड़ियां एक घंटे की देरी से ही आईं। उसमें भी पानी पर्याप्त नहीं था। आग से विभाग को काफी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग के अंदर जाकर सभी चीजें देखी जाएंगी उसके बाद ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। नगर निगम के राजस्व अधिकारी तेजराम मीणा ने बताया कि फायर स्टेशन पर 2 बजे

करीब आग लगने की सूचना मिली थी। बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट की जानकारी की गई तो, वह भी एक्सपायरी डेट के थे। फायर एनओसी नहीं होने के कारण नगर निगम ने बिल्डिंग सीज के नोटिस बीएसएनल को दिए थे। इसके साथ ही बीएसएनल ऑफिस की तरफ से यूटी टैक्स भी जमा नहीं करवाया गया था।

पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर के बीएसएनएल ऑफिस में लगी आग की घटना की

■ **आगजनी से बीएसएनल का नेटवर्क ठप हो गया और एक लाख से अधिक मोबाइल नेटवर्क और बैंक लाइन सीज हो गईं**

जाँच कर यह पुख्ता व्यवस्था की जाए कि इस तरह की घटना दुबारा ना हो। जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर जांच कराई जाए जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि भवन में फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम ही नहीं था। यह अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए

बीएसएनएल सलाहकार समिति सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता अशोक ताम्बी ने आग लगने के कारण एवं नुकसान की जांच की मांग की है। टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल में इस तरह की अप्रत्यक्षित घटना से सेवाओं में रुकावट (फ़ोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड), जरूरी सेवाओं पर असर होने से अफरा–तफरी जैसे हालात बन सकते हैं। अशोक ताम्बी ने ग्राहकों के डाटा, जानकारी नष्ट होने पर चिंता जताई है।

## चोरी के आरोप में दो गिरफ्तार

**भीलवाड़ा**, (निसं)। जिले की रायपुर थाना पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बोरणा के भैरुजी मंदिर में हुई चोरी के मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहनदास वैष्णव और पुष्पा देवी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से मंदिर से चुराया गया गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2025 की रात को चोरों ने बोरणा गांव के कोयड़ स्थित भैरूजी मंदिर और माताजी मंदिर को निशाना बनाया था। चोरों ने ताला तोड़कर वहां से चांदी के दो छत्र, एक नथ और गैस सिलेंडर चोरी कर लिया था। इस संबंध में 1 जनवरी को परिव्रादी भीपू गुर्जर ने मामला दर्ज करवाया था। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देश पर रायपुर थानाधिकारी शंभु दयाल की टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

# डीडवाना : ग्राम पंचायत कोयल को पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का विरोध जारी

**डीडवाना**, (निसं)। डीडवाना जिले में ग्राम पंचायतों के नए सिरे से पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर जगह–जगह विरोध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का विरोध जता रहे हैं। इसी क्रम में लाडनू उपखंड की ग्राम पंचायत कोयल को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का विरोध होने लगा है। इसके तहत बुधवार को ग्राम बादेड़ व बेड़ के सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत मुख्यालय ग्राम बादेड़ को बनाने की मांग की।

इस दौरान बादेड़ ग्राम की महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं ने राजस्थानी गीत गाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बादेड़ को मुख्यालय नहीं बनाने पर भूख हड़ताल करने तथा मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया कि राज्य सरकार ने नवसृजित ग्राम पंचायत

- ग्राम बादेड़ व बेड़ के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत मुख्यालय ग्राम बादेड़ को बनाने की मांग की**
- बादेड़ को मुख्यालय नहीं बनाने पर भूख हड़ताल करने तथा मतदान का बहिष्कार की चेतावनी दी**
- पिछले चार दिन से उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने ग्रामीणों का धरना जारी है**

कोयल का गठन किया है, जिसमें ग्राम बेड़ व बादेड़ को भी शामिल किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल को बनाया जाने से ग्राम बादेड़ व बेड़ के आम नागरिकों में भारी विरोध है। उन्होंने बताया कि ग्राम बादेड़, ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल से जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा गांव है। आबादी घनत्व एवं वोटर लिस्ट के अनुसार भी ग्राम बादेड़ में मतदाता संख्या भी ज्यादा है। इसके अलावा नवसृजित ग्राम पंचायतों में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गांव ही पंचायत मुख्यालय बनने के कानूनी दृष्टि

से हकदार भी है। इसी प्रकार ग्राम बादेड़ मेघा हाईवे व आस–पास के गांवों के सम्पर्क सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। गांव में सरकारी भूमि की भी पर्याप्त उपलब्धता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आधुनिक सुविधाओं से लेस सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, जो गांव के बीच आबादी में पर्याप्त जगह पर बना हुआ है। इसके अलावा भी गांव शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बादेड़ से कोयल की दूरी करीब 8 किमी है और

ग्राम बादेड़ से कोयल की सीधी सड़क की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ग्राम बादेड़ पहले बाकलिया ग्राम मुख्यालय से जुड़ा हुआ था जो करीब 1.5 किमी दूर था और अब कोयल मुख्यालय बना देने से बादेड़ अब 8 किमी दूर हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में सरकार को जो पत्र भेजा गया था, उसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय बादेड़ को रखने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल को केवल मात्र राजतैनिक ढ़पेत से बनाया गया है। जिसमें राज्य सरकार से जारी नियमों को पूर्णतया ताक में रखा गया है, जिसमें केवल आनन–फानन में मुख्यालय कोयल ट्रांसफर किया गया है, जबकि ऐसी कोई भी अहंता ग्राम कोयल पूरी नहीं कर रहा है और मजबूरन ग्रामवासियों को सारे जापन देने के उपरान्त और कोई कार्रवाई नहीं होने पर 4 जनवरी से उपखण्ड कार्यालय के सामने धरना देने को विवश होना पड़ रहा है।

# वाहनों में तोड़फोड़ करने वाला बदमाश गिरफ्तार

**उदयपुर**, (निसं)। शहर पुलिस ने सूरजपोल थाना क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले शांति बदमाश को गिरफ्तार किया व विधो से संघर्षरत दो बाल अपचारियों को डिटोन किया।

प्रकरण के अनुसार 6 जनवरी रात में सूरजपोल थाना क्षेत्र स्वराजनगर माछला मगरा क्षेत्र में गली में रोड़ किनारे खड़ी करीब 2 दर्जन गाड़ियों में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ करने की शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप

अधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह चौहान मय टीम ने मामले में नवाज पुत्र जावेद खान उर्फ लाला निवासी दिवानशाह कॉलोनी व साथियों द्वारा करने की जानकारी जुटाई। इस मामले में आरोपियों के ठिकाने पर दबीश दी तो तीनों माछला मगरा से पुलिस को देख भागने के लिए पहाड़ी से कूद पड़े, जिससे नवाज के दोनों पांव व एक हाथ टूट गया तथा शेष दोनों के पैर टूटे हैं। जिन्हें डिटोन करने के बाद चिकित्साल में उपचार करवाया तथा नवाज को गिरफ्तार किया।

**बीकानेर**, (निसं)। बाइक पर सवार होकर मुक्ताप्रसाद नगर के सेक्टर 10 में पहुंचे बदमाशों ने पांच लाख रुपए की फिरोती के लिए घर के आगे खड़ी एक कार में आग लगा दी और धमकी देकर फरार हो गए। सोमवार की रात को करीब 2.30 बजे बाइक पर सवार होकर मुक्ताप्रसाद नगर के सेक्टर 10 में पहुंचे बदमाश रेलवे कर्मचारी श्यामसुन्दर सोनी के घर पहुंचे। घर के आगे खड़ी कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस दौरान शोर सुनकर घर के लोग बाहर आए तो बदमाशों ने पांच लाख रुपए नहीं

- आरोपियों ने 23 दिसंबर को व्हाट्सअप मेंसेज कर 5 लाख की फिरोती मांगी थी**

देने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई। इतला मिलने पर मुक्ताप्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।

श्यामसुन्दर सोनी की ओर से

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि लुकमान व 3–4 अन्य ने 5 लाख रुपए की फिरोती के लिए उसके घर के आगे खड़ी कार को जला दिया और जान से मारने की धमकी दी है। श्यामसुन्दर सोनी ने बताया कि आरोपियों ने 23 दिसंबर को मोबाइल पर व्हाट्सअप मेंसेज कर 5 लाख रुपए की फिरोती मांगी थी। उसने रकम नहीं दी और मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया था जिसकी जांच चल रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थानों में और भी मुकदमे दर्ज हैं।

# केकड़ी में दिनदहाड़े फायरिंग, प्रिंटिंग प्रेस संचालक गंभीर घायल

- आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की, पेट और हाथ में गोली लगने से प्रिंटिंग प्रेस संचालक गंभीर रूप से घायल**

- पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय साहू को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया**

देने के बाद आरोपी मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अजय साहू को घटनास्थल के पास ही घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उसके दो अन्य साथियों को बाद में पुलिस ने डिटोन कर लिया।

घायल व्यापारी को आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे अजमेर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मौल और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा पुलिस जाब्त के साथ अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।

एएसपी राजेश मौल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से

आर्थिक लेनदेन को लेकर रंजिश चली आ रही है। पूर्व में भी दोनों ओर से मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार विवाद पिछले कुछ दिनों से और गहराता जा रहा था तथा कुछ समय पहले पीड़ित के छोटे पुत्र पर भी हमला किया गया था। पूर्व घटनाओं के बावजूद विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका, जिसके चलते मामला बुधवार को हिंसक रूप ले बैठा। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और वारदात में उसके साथ कौन–कौन शामिल था। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

# डीडवाना कलैक्टर ने 70 चिकित्सा केंद्रों को पट्टे दिये

**डीडवाना**, (निसं)। जिला कलैक्टर डॉ.महेन्द्र खड़गावत ने बुधवार को जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के 70 पट्टे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को प्रदान किये। अतिरिक्त जिला कलैक्टर मोहन लाल खटनाबलिया ने बताया कि जिला कलैक्टर डॉ. खड़गावत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कुल 70 पट्टे प्रदान किये हैं।

उन्होंने बताया कि जिला कलैक्टर द्वारा जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की भूमि के पट्टे जारी करने के निर्देश दिए प्रदान

किये थे। पूर्व में जिला कलैक्टर द्वारा जिले के 13 चिकित्सा संस्थानों व कार्यालयों को पट्टे प्रदान किये गए थे, इसी क्रम में बुधवार को जिले के 70 चिकित्सा केंद्रों को पट्टे जारी किये गए हैं। अतिरिक्त जिला कलैक्टर ने बताया कि चिकित्सा केंद्रों को पट्टे मिलने से स्वास्थ्य संस्थानों के भवन निर्माण एवं क्रमोन्त होने पर उनके विस्तार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कलैक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन के साथ– साथ त्वरित अग्रिम कार्यवाही कर पट्टे जारी करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।

# गुड़ामालानी को बाड़मेर और बालोतरा जिलों में बांटने से लोगों में आक्रोश

- गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायत समितियों को बाड़मेर में रखा गया है, जबकि कुछ को बालोतरा जिले में जोड़ा गया है**

- कांग्रेस के पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है**

को असमंजस में डाल दिया है। एक तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए लिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए लिया है। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दो जिलों में बांटना यह न्याय संगत नहीं है। बालोतरा जिले से लम्बी दूरी तय करने वाले मतदाताओं का कहना है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे और गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को एक ही जिले में रखा जाए। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को दो भागों में बांटने के फैसले ने जनता

होती नजर आ रही है। गौरतलब है कि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को पूरा बालोतरा जिले में नहीं लेकर कुछ ग्राम पंचायतों को हटाकर बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। बालोतरा जिले से कम दूरी वाली ग्राम पंचायतों को बाड़मेर जिले में जोड़ना जबकि धोरीमन्ना बालोतरा से लम्बी दूरी है, उसको बालोतरा जिले में शामिल करना इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर पांचवें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं लगातार चल रहे धरने में दिनों–दिन लोगों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है।

# छह लाख रुपये का डोडा-चूरा सहित दो तस्कर गिरफ्तार

**कोटा**, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान 47 किलो डोडा–चूरा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई में पकड़े गये अवैध मादक पदार्थ डोडा–चूरा की अनर्गलष्टीय कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है, पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त बोलeros को भी जब्त किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों

की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अभियान के तहत कनवास थाने के उपनिरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि विशेष टीम ने कोटा–झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की चौकियों की, पुलिस चौकियों के दौरान एक बोलeros पिकअप को

रोककर तलाशी ली तो बोलeros पिकअप से अवैध मादक पदार्थ 47 किलो डोडा–चूरा तस्करों के लिये ले जाते हुए बरामद किया। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट में हिमाचल प्रदेश के गणजी निवासी शबीर खान एवं जिला पंजाब के जमालपुरा बस्ती निवासी लियाकत अली को गिरफ्तार किया। पकड़े गये दोनों आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

# हाईकोर्ट ने टीएसपी एरिया में नगर पालिका बनाने को हरी झंडी दी

में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। दरअसल, राज्य सरकार ने उदयपुर के बलीचा, ऋषभदेव, सेमारी और बांसवाड़ा के घाटोला, परतापुर सहित कई गांवों को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था। ग्राम पंचायत बलीचा की सरचक्क लक्ष्मी बाई गमेती और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243–जेडसी के तहत टीएसपी क्षेत्रों में नगर पालिका कानून नहीं होता। उन्होंने दलील दी कि पेसा एक्ट की तरह नगर पालिकाओं के लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, इसलिए राज्य सरकार इन क्षेत्रों में नगर पालिका गठित नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे आदिवासियों की जमीन छिन जाएगी

और पेसा एक्ट का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, वहां राज्य के सामान्य कानून (जैसे म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 2009) लागू होने से नहीं रोके जा सकते। जब तक राज्यपाल 5 वीं अनुसूची के तहत किसी कानून को विशेष रूप से रोकने की अधिसूचना जारी नहीं करते, तब तक विकास और शहरीकरण के लिए म्युनिसिपैलिटी एक्ट लागू रहेगा। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि 2001 में प्रस्तावित एमईएसए बिल आज तक संसद से पास नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस 'संवैधानिक वैक्यूम' को भरा जाना जरूरी है। आदेश की प्रति केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द कानून बनाया जा सके।